

परिषद की कानपुर ज़ोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/निव्विकसित/निरस्तीकरण से रिक्त आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

स्थल : कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर ज़ोन) आफिस काम्पलेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

आवंटन/नीलामी दि.24-05-2017 समय प्रातः 10.30 बजे

आवासीय भवन (आवंटन द्वारा)						
हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर						
सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	अनुमानित मूल्य (रू. लाख में)	पात्रता			
अल्प आय वर्ग 29/60 प्रकार के भवन (70 नग)						
6B-69 से 84 तक, 112 से 136 तक 149 से 163 तक, 172 से 185 तक	60.33 to 117.54	16.51 to 25.48	पंजीकरण वर्ष-2014 (प्रथम चरण) के पात्रता चयनित आवेदकों के मध्य आवंटन किया जायेगा।			
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, के सेक्टर-ई (पाटी) कानपुर में ब्रह्मावत अपार्टमेंट (जी+3) एफ-82 प्रकार के सामान्य श्रेणी के अवशेष फ्लैट्स (16 नग)						
सम्पत्ति श्रेणी	फ्लैट्स का प्रकार	सुपर एरिया (वर्ग फिट)	फ्लैटों की संख्या	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)	पंजीकरण घनराशि (रू. लाख में)	अवशेष मूल्य (रू. लाख में)
मध्यम आय वर्ग	Type F-82 (2BHK) तृतीय तल (16 नग)	885.00	T-1/401, T-1/402, T-1/404, T-2/402, T-3/402, T-4/401, T-4/404, T-5/402, T-6/401, T-6/402, T-6/403, T-6/404, T-7/401, T-7/402, T-7/403, T-8/401	42.18	2.11	40.07

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पाटी) कानपुर में गंगा इन्क्लेव अपार्टमेंट के स्व. वित्त पोषित फ्लैट्स (248 नग)

फ्लैट्स का प्रकार स्व. वित्त पोषित फ्लैट संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में) (सुपर एरिया)	प्रस्तावित अनु. विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	अनु. पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
(3 BHK TYPE-I) BLOCK-1			
पहला तल (03 नग) B1-101, 103, 104 दूसरा तल (03 नग) B1-201, 203, 204 तीसरा तल (03 नग) B1-301, 303, 304 चौथा तल (01 नग) B1-404 पांचवा तल (04 नग) B1-501, 503, 504, 506 छठा तल (04 नग) B1-601, 603, 604, 606 सातवां तल (04 नग) B1-701, 703, 704, 706 आठवां तल (04 नग) B1-801, 803, 804, 806 नौवां तल (04 नग) B1-901, 903, 904, 906 दसवां तल (04 नग) B1-1001, 1003, 1004, 1006 ग्यारहवां तल (04 नग) B1-1101, 1103, 1104, 1106	131.49	56.42	2.83

पहला तल (01 नग) B1-102 तीसरा तल (01 नग) B1-302, चौथा तल (01 नग) B1-402 छठा तल (01 नग) B1-602 सातवां तल (02 नग) B1-702, 705 आठवां तल (02 नग) B1-802, 805 नौवां तल (02 नग) B1-902, 905 दसवां तल (02 नग) B1-1002, 1005 ग्यारहवां तल (01 नग) B1-1102	132.15	56.71	2.84
--	--------	-------	------

(2 BHK TYPE-II) BLOCK-1			
पहला तल (04 नग) B2-102, B1-103, 106, 107	99.73	42.79	2.14
दूसरा तल (04 नग) B2-202, B1-303, 306, 307 चौथा तल (04 नग) B2-402, B1-403, 406, 407 पांचवा तल (04 नग) B2-501, B1-503, 506, 507 छठा तल (04 नग) B2-602, B1-603, 606, 607 सातवां तल (04 नग) B2-702, B1-703, 706, 707 आठवां तल (04 नग) B2-802, B1-803, 806, 807 नौवां तल (04 नग) B2-902, B1-903, 906, 907 दसवां तल (04 नग) B2-1002, B1-1003, 1006, 1007 ग्यारहवां तल (04 नग) B2-1102, B1-1103, 1106, 1107 बारहवां तल (04 नग) B2-1202, B1-1203, 1206, 1207 तेरहवां तल (04 नग) B2-1302, B1-1303, 1306, 1307 चौदहवां तल (04 नग) B2-1402, B1-1403, 1406, 1407 पन्द्रहवां तल (04 नग) B2-1502, B1-1503, 1506, 1507	120.63	51.76	2.59

(2 BHK+STUDY) BLOCK-2			
पहला तल (01 नग) B2-108 दूसरा तल (04 नग) B2-201, 204, 205, 208 तीसरा तल (04 नग) B2-301, 304, 305, 308 चौथा तल (04 नग) B2-401, 404, 405, 408 पांचवा तल (04 नग) B2-501, 504, 505, 508 छठा तल (04 नग) B2-601, 604, 605, 608 सातवां तल (04 नग) B2-701, 704, 705, 708 आठवां तल (04 नग) B2-801, 804, 805, 808 नौवां तल (04 नग) B2-901, 904, 905, 908 दसवां तल (04 नग) B2-1001, 1004, 1005, 1008 ग्यारहवां तल (04 नग) B2-1101, 1104, 1105, 1108	120.63	51.76	2.59

(2 BHK) BLOCK-3			
पहला तल (04 नग) B3-102, 103, 106, 107 दूसरा तल (04 नग) B3-202, 203, 206, 207 तीसरा तल (04 नग) B3-302, 303, 306, 307 चौथा तल (04 नग) B3-402, 403, 406, 407 पांचवा तल (04 नग) B3-502, 503, 506, 507 छठा तल (04 नग) B3-602, 603, 606, 607 सातवां तल (04 नग) B3-702, 703, 706, 707 आठवां तल (04 नग) B3-802, 803, 806, 807 नौवां तल (04 नग) B3-902, 903, 906, 907 दसवां तल (04 नग) B3-1002, 1003, 1006, 1007 ग्यारहवां तल (04 नग) B3-1102, 1103, 1106, 1107 बारहवां तल (04 नग) B3-1202, 1203, 1206, 1207 तेरहवां तल (04 नग) B3-1302, 1303, 1306, 1307 चौदहवां तल (04 नग) B3-1402, 1403, 1406, 1407 पन्द्रहवां तल (04 नग) B3-1502, 1503, 1506, 1507	99.73	42.79	2.14

(2 BHK+STUDY) BLOCK-3			
पहला तल (03 नग) B3-101, 104, 108 दूसरा तल (03 नग) B3-201, 204, 208 तीसरा तल (03 नग) B3-301, 304, 308 चौथा तल (03 नग) B3-401, 404, 408 पांचवा तल (04 नग) B3-501, 504, 505, 508 छठा तल (04 नग) B3-601, 604, 605, 608 सातवां तल (04 नग) B3-701, 704, 705, 708 आठवां तल (04 नग) B3-801, 804, 805, 808 नौवां तल (04 नग) B3-901, 904, 905, 908 दसवां तल (04 नग) B3-1001, 1004, 1005, 1008 ग्यारहवां तल (04 नग) B3-1101, 1104, 1105, 1108	120.63	51.76	2.59

शैक्षिक भूखण्डों का विवरण

सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमि दर+सीजरेट +कार्नेर शुल्क (कार्नेर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दि. 01.04.17 से प्रभावी दर के अनुसार (रु. में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रु. में)
----------------------	-----------------------	---	--	--

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)				
जी/एस.सी.एच.-02	3151.86	28952.00	91252651.00	9125270.00
पूर्व विज्ञापन दिनांक 14.04.2017 के क्रम में इस शैक्षिक भूखण्ड के विरुद्ध 02.00 नग शैक्षिक संस्थाओं के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, सिर्फ इन्हीं संस्थाओं के मध्य नीलामी करायी जायेगी।				
पी.एस. सेक्टर-आई	1507.50	28952.00	43645140.00	4364520.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (09 नग) (लीज पर)				
भूखण्ड सं.-ए	960.00	20812.00	19979520.00	1998000.00
भूखण्ड सं.-सी	2448.00	20812.00	50947776.00	5094800.00
सेक्टर-7/एन.एस.-6	1097.60	20812.00	22843251.00	2284350.00
सेक्टर-8/पी.एस.-1	894.00	20812.00	18605928.00	1860600.00
सेक्टर-8/पी.एस.-5	1875.50	20812.00	39032906.00	3903300.00
सेक्टर-8/एन.एस.-1	1104.50	20812.00	22986854.00	2298700.00
सेक्टर-8/एन.एस.-2	928.76	20812.00	19329553.00	1932950.00
सेक्टर-8/एन.एस.-3	1648.47	20812.00	34307958.00	3430800.00
9/पी.एस.-3	1507.75	20812.00	31379293.00	3137950.00

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)				
सेक्टर-ए.एन.एस./पी.एस.	1390.50	16940.00	23555070.00	2355600.00
सेक्टर-बी.एन.एस./पी.एस.	935.45	16940.00	15846523.00	1584700.00

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़

शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
6बी.पी.एस.	973.76	13200.00	11782496.00	1178500.00

नोट :- (1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेंसशीट वार्डेंट एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है। (2) उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा। (3) उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे। (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों/प्रचार अनुभाग मुख्यालय से विनियमावली सम्बन्धित पुस्तिका रूपये 1000/- का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है जिसके अनुसार नीलामी में भाग लिया जाता है। (5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/ सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति प्रकार व संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	आरक्षित दर/ अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
केशवपुरम् योजना संख्या-1, (जोन-सी) कानपुर			
उच्च आय वर्ग (71/181) प्रकार का भवन (02 नग)			
C-42, C-43	181.35	59.00	अपंजीकृत आवेदक
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-1, (फेज-1) कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81.00 से 170.00 वर्ग मीटर तक (01 नग)			
4822	162.00	19264.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत आवेदक
आवासीय भूखण्ड 171.00 वर्ग मीटर से अधिक (01 नग)			
4470/1	276.61	19264.00 प्र.व.मी.	अपंजीकृत आवेदक

व्यवसायिक सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आरक्षित दर/ अनु.मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ.ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
-----------------	-----------------------	--	----------	------------------------	------------------------

केशवपुरम् योजना संख्या-1, कानपुर

हेल्थ सेन्टर भूखण्ड (01 नग)					
GH-C-1@	1953.00	43,428.00	1.50	35%	15.00

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कानपुर

व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)					
2/Comm-1@	2448.68	42381.00	1.20	40%	10.50

हेल्थ सेन्टर भूखण्ड (01 नग)					
2/H-C-1@	3975.00	31786.00	--	--	--

हंसपुरम् योजना संख्या-2, कानपुर

सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)					
Sector 5G@	834.75	16940.00	1.50	35%	10.00
Sector 5H@	1627.50	16940.00	1.50	35%	10.00

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)					
7GH-02	6125.15	26000.00	1.50	40%	-

व्यवसायिक भूखण्ड (05 नग)					
07/COM-2/01@	1909.16	34496.00	1.20	40%	10.00
6B/COM-01A@ (GEN)	412.83	34496.00	1.20	40%	10.00
6B/COM-01B@ (SC)	421.83	34496.00	1.20	40%	10.00
6B/COM-02 (GEN)	338.70	31360.00	1.20	40%	10.00
6B/COM-03@ (OBC)	391.35	34496.00	1.20	40%	10.00

फैसिलिटीज भूखण्ड (01 नग)

6A/F-01@	780.00	25872.00	-	-	-
----------	--------	----------	---	---	---

कनवेनान शापिंग भूखण्ड (01 नग)

6B/CS-01@	741.00	34496.00	-	-	-
-----------	--------	----------	---	---	---

इन्स्टीट्यूशनल भूखण्ड (01 नग)

6B/INS-01@	596.00	34496.00	-	-	-
------------	--------	----------	---	---	---

लोहियापुरम् योजना, फतेहगढ़ (फर्स्टटाबाद)

व्यवसायिक भूखण्ड (13 नग)					
4/C-06 @	953.99	29,568.00	1.20	40%	9.60
4/C-07	1023.50	26,880.00	1.20	40%	9.60
4/C-08	932.65	26,880.00	1.20	40%	9.60
4/C-09 @	887.55	29,568.00	1.20	40%	9.60
3/C-18	162.00	29,568.00	1.20	40%	9.60
3/C-39, 71, 79, 80, 81, 82, 84	200.00	26,880.00	1.20	40%	9.60
3/C-85	361.00	26,880.00	1.20	40%	9.60

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (01 नग)					
3C/GH-01	8622.00	20160.00	1.50	35%	15.00

योजना संख्या-1 धिसरामगढ़ (कन्नोज)

संस्थागत भूखण्ड (01 नग)					
INS-4/101	1287.33	8,725.00	1.50	35%	15.00

सूत मिल आवासीय योजना, इटावा

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (06 नग)					
GH-1	7914.28	43680.00	2.50	35%	-
GH-2	7788.53	43680.00	2.50	35%	-
GH-3@	7877.68	48048.00	2.50	35%	-
GH-4	7982.01	43680.00	2.50	35%	-
GH-5	8951.73	43680.00	2.50	35%	-
GH-6@	9773.13	48048.00	2.50	35%	-

नोट:- शैक्षिक भूखण्ड हेतु रु. 1000/- का कार्यभार में नगद जमा करके पुस्तिका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्राप्त कर पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों सहित सम्बन्धित कार्यालय में जमा कर सकते हैं, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा, प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

नोट-1. अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, सेक्टर-ई (पाटी) कानपुर में गंगा इन्क्लेव के स्व. वित्त पोषित फ्लैट्स के पंजीकरण व आवंटन हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना संख्या-1/3 कल्यानपुर कानपुर में रु. 500.00 का भुगतान कर पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त कर एवं पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट सहित आवेदन-पत्र आवंटन तिथि से 02 दिन पूर्व इस कार्यालय में जमा करना होगा। 2. गंगा इन्क्लेव 248 नग का उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण 30 माह में किया जाना प्रस्तावित है। 3. प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल के फ्लैट के आवेदकों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 5, 3, 2 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 4. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित समस्त शर्तें आवेदक को मान्य होंगी।

विधेय सूचना:- परिषद के आर्वाटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निवारण हेतु उ.प्र. आवास विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को 'परिषद दिवस' का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10 बजे से 12.30 बजे तक किया जाता है। अवकाश की दिवस में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्यदिवस में होगा।

नियम व शर्तें :- (1) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार आरक्षण देते हुए किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सील्ड बिड फॉर्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (4) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक/अनावासीय सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट कर 'उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी के दो दिन पूर्व तक तथा सील्ड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यादिवस में प्रातः 05.00 बजे तक सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय में जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11.00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। (5) आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमति नहीं है तथा पात्र आवेदक एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा। (6) प्रवेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (7) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तों एवं शाश्वत पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।